

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.सं/एफ-4/पत्रा.बीएड.अनु./समस्त मं./2019/ दिनांक:- 19/06/2019

परिपत्र


विषय : परीवीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन / बी.एड. करने की अनुमति बाबत ।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-7/1285/09 दिनांक 11.04.2000, शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/35 दिनांक 12.05.2008 तथा शिविरा/प्रारं/संस्था /एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/60 दिनांक 18.03.2013 द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में भाग लेने व साक्षात्कार /शोध कार्य/उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनापत्ति जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश तथा सक्षम प्राधिकार जारी किये गये हैं।

इसी के साथ ही नव नियुक्त अध्यापको के संबंध में शासन के पत्रांक प.5(42)प्राशि/2005 जयपुर दिनांक 29.09.2005 के द्वारा यह अंकित किया है कि वित्त विभाग की राय के अनुसार राजस्थान सेवा नियम 96(बी) के तहत अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी निरन्तर सेवा में 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, को निरन्तरता में 90 से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे नवनियुक्त कर्मचारी को अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

परीवीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने की अनुमति बाबत प्रकरणों के संबंध में शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग,जयपुर के पत्रांक प.5(25)प्रा.शि./2019 दिनांक 04.06.2019 के क्रम में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जा सकेगी :-


1. परीवीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने की अनुमति उन्हीं अध्यापको को दी जा सकेगी जिनके परीक्षा कार्यक्रम/ सम्पर्क कार्यक्रम शिविरा पंचाग में निर्धारित मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में ही आयोजित होंगे।
2. परीवीक्षाकाल में पत्राचार से उच्च अध्ययन/बी.एड करने वाले कार्मिक को विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
3. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि विद्यालय समय के समान ही हो तो स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।
4. प्रत्येक वर्ष हेतु अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
5. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।
6. यह स्वीकृति पूर्व के परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नहीं दी जावेगी अपितु अंकित शर्तों को पूर्ण करने वाले प्रकरण, प्रार्थी से सहमति का शपथ पत्र प्राप्त कर अपनी स्पष्ट अभिशंका सहित निदेशालय को भिजवाये जाने पर परीक्षण के आधार पर इस कार्यालय द्वारा जारी की जा सकेगी।

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज  
(प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उपसचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि समस्त।
4. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज  
(प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान,  
बीकानेर